रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 249] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 1979/श्रावण 17, 1901

No 249] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 1979/SRAVANA 17, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1979

सा. का. नि. 472 (अ).—नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 10 की उप-धारा (1) के तीसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राजस्थान राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि के खातों को रखने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है ।

2. यह आदेश पहली अक्तूबर, 1979 से लागू होगा।

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम से

[संख्या एफ. 1(25)-बी/ए.सी./79]

अखिलेश चन्द्र तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 6th August, 1979

G.S.R. 472(E).—In exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (1) of section 10 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971), the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General, hereby relieves the Comptroller and Auditor-General from the responsibility of keeping the General Provident Fund and Contributory Provident Fund accounts of all employees of the Government of the State of Rajasthan.

2. This order shall come into force on the 1st day of October, 1979.

By order and in the name of the President.

[No. F1(25)-B(AC)/79]

A. C. TIWARI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979